

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 742]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2014/फाल्गुन 30, 1935
No. 742]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2014/PHALGUNA 30, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 870(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम

कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तंभ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
"268	333 ए	बिहार राज्य में बार बीघा के निकट रारा 33 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, झाझा, बांका को जोडते हुए और झारखंड राज्य में गोड्डा के निकट रारा 133 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
269	527 ए	बिहार राज्य में पोखरौनी चौक के निकट रारा सं. 527 बी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मधुबनी, रामपत्ती को जोड़ते हुए और झांझरपुर के निकट नया रारा सं.27 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

1294 GI/2014

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

270	210	
270	219	बिहार राज्य में मोहनिया के निकट नए रारा.सं 19 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर
		बबुआ, चैनपुर, चांद को जोड़ते हुए और उत्तर प्रदेश राज्य में चंदौली के निकट रारा सं 19.
		के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।"

[फा.सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-17)]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 364 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

S.O. 870 (E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
"268	333A	The highway starting from its junction with NH-33 near Bar Bigha connecting Shekhpura, Sikandra, Jamui, Jha-Jha, Banka in the State of Bihar and terminating at its junction with NH-133 near Godda in the State of Jharkhand.
269	527A	The highway starting from its junction with new NH No. 527 B near Pokhrauni Chowk connecting Madhubani, Rampatti and terminating at its junction with new NH No. 27 near Jhanjharpur in the State of Bihar.
270	219	The highway starting from its junction with new NH No. 19 near Mohania connecting Bhabhua, Chainpur, Chand in the State of Bihar and terminating at its junction with NH-19 near Chandauli in the state of Uttar Pradesh."

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-17)] MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote:-The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 364 (E), dated 10th February, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.